राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 888वी बैठक दिनांक 06.08.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 888वी बैठक दिनांक 06.08.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

प्राधिकरण में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित / परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P2 / 1673 / 2025	1 (c)	देवास	सिंचाई	For TOR	TOR जारी किया जाये
2.	P2 / 1040 / 2025	1 (c)	बडवानी	सिंचाई	For TOR	TOR जारी किया जाये
3.	P2 / 1035 / 2025	1 (c)	अलीराजपुर	सिंचाई	For TOR	TOR जारी किया जाये
4.	P2 / 1122 / 2025	1 (c)	सिवनी	सिंचाई	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये
5.	P2 / 1037 / 2025	1 (c)	बडवानी	सिंचाई	For TOR	TOR जारी किया जाये
6.	9634 / 2023	1 (c)	नरसिंहपुर, छिन्दवाडा	सिंचाई	TOR में संसोधन	TOR में संशोधन जारी किया जाये
7.	10710/2023	1 (c)	सागर	सिंचाई	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाये
8.	11233 / 2024	1(a)	पन्ना	रेत खदान	त्रुटिवश प्रकरण प्राधिकरण को अग्रेषित	अग्रिम कार्यवाही हेतु SEAC को अग्रेषित
9.	10763 / 2024	1(a)	उमरिया	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाये
10.	10656 / 2023	1(a)	बैतूल	रेत खदान	त्रुटिवश प्रकरण प्राधिकरण को अग्रेषित	अग्रिम कार्यवाही हेतु SEAC को अग्रेषित
11.	11319 / 2023	1(a)	दतिया	रेत खदान	Corrigendum in EC	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया जाये
12.	P2 / 728 / 2024	1(a)	सिंगरौली	रेत खदान	Corrigendum in ToR	ToR में संशोधन जारी किया जाये
13.	P2 / 123 / 2024	1(a)	बडवानी	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नही	निरस्त किया जाये
14.	P2 / 240 / 2024	1(a)	खरगौन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाये
15.	P2 / 100 / 2024	1(a)	खरगौन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाये
16.	P2 / 680 / 2024	1(a)	खरगौन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

17.	P2/678/2024	1(a)	खरगौन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित
18.	P2/289/2024	1(a)	उज्जैन	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित
19.	P2/171/2023	1(a)	दमोह	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नही	निरस्त किया जाये
20.	P2/482/2024	1(a)	बालाघाट	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिंदु						निरंक

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 888वी बैठक दिनांक 06.08.2025 का कार्यवाही विवरण

1. **Case No.P2/1673/2025**: Prior Environment Clearance for Maa Rewa Lift Irrigation System at village Fategarh, Tehsils Khategaon and Kannod of Dewas District, Madhya Pradesh. Culturable Command Area (CCA) of 43,668 Ha., Village Benefitted: 76 nos. (Khategaon24 Villages- 14,071 Ha, Kannod - 52 Villages- 25,629 Ha)by Shri Mukesh Chaturvedi, Executive Engineer, O/o Engineer-in-Chief, Water Resources Department, Jal Sansadhan Bhawan, Tulsi Nagar, Bhopal-462003, Cat.-1(c) Irrigation Projects, SIA/MP/RIV/540953/2025. FoR- ToR.

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार रिकॉर्ड किया गया :–

1. उक्त प्रकरण मध्य प्रदेश के देवास जिले की खातेगांव और कन्नौद तहसील के गांव फतेगढ़ में मां रीवा लिफ्ट सिंचाई प्रणाली के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी का है। परियोजना में 43,668 हेक्टेयर का सीसीए प्रस्तावित है जिसमे लाभान्वित 76 गाँव है। (खातेगांव– 24 गांव– 14,071 हेक्टेयर, कन्नौद– 52 गांव– 25,629 हेक्टेयर)।

2. ईआईए अधिसूचना 2006 और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार, कमांड क्षेत्र >10,000 हेक्टेयर सिंचाई परियोजनाओं को मद 1(सी) में में सूचीबद्ध किया गया है। उक्त परियोजना 43,668 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र है, इस कारण प्रकरण "बी1" श्रेणी के अंतर्गत विचाराधीन है।

3. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 807वी बैठक दिनांक 03.07.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 48 से 52 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त शर्ते निम्नानुसार है :–

a) राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में चर्चा के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 43,668 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र हेतु आवेदन किया गया है, जबकि दोनों जिलों का कमांड क्षेत्र मिलकर 39700 हेक्टेयर है। परिवेश पोर्टल पर अपलोड PFR में भी CCA 39700 हे .उल्लेखित है, अतः परियोजना प्रस्तावक EIA रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय इसे स्पष्ट करें। SEAC को भी सूचित किया जाये इस प्रकार के त्रुटियों का परीक्षण कर ही प्रकरण को अनुशंसित करें।

b) परियोजना क्षेत्र के Up Stream व Down Stream में पानी की उपयोगिता का विवरण EIA Report में सम्मिलित करें।

c) प्रस्तावित कमांड क्षेत्र में भूजल स्तर में उतार–चढ़ाव की स्थिति एवं कमांड क्षेत्र में प्रस्तावित विकास योजना (Development Plan) का विवरण दें।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

d) सिचांई के अंतर्गत लवणता/क्षारीयता को रोकने के लिये प्रबंधन।

e) ईंधन के सरंक्षण हेतु प्रबंधन योजना सब्सिडी वाला ईधन प्रबंधन योजना प्रस्तुत करें।

f) राज्य वन विभाग के परामर्श से प्रतिपूरक वनरोपण (Compansantory Plantation) योजना यदि पेड़ काटे जाते हैं और हरित पट्टी विकास योजना की विस्तृत रिपोर्ट EIAमें सम्मिलित करें।

g) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

h) site specific management plan का विस्तृत अध्यन कर EIA में उल्लेख करे ।

i) sand की कमी को देखते हुए sand के पुर्नउपयोग का प्रावधान को EIA में उल्लेख करे।

j) प्रारंभिक पम्पिंग स्टेशनों से अंतिम वितरण बिंदु तक पानी के नुकसान का विवरण ईआईए रिपोर्ट में करे ।

k) संचालन अवधि के दौरान marshyland की स्थिति बनने पर क्या control measures लिए जायेंगे उसका विस्तृत विवरण EIA में करे।

l) रिसाव का पता लगाने की योजना उसके नियत्रण हेतु उपायों और एमएस पाइपों के लिए जंग से सुरक्षा के लिए योजना की चर्चा EIAमें करे।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

2. **Case No. P2/1040/2025**: Prior Environment Clearance for Niwali Micro lift irrigation Project is proposed to Irrigate 33,179 Ha Culturable command area in Pati, Barwani, Niwali and Rajpur Tehsils in Barwani District in Madhya Pradesh.(M.P.) by Executive Engineer, Office of the Executive Engineer Narmada Vikas Sanbhag NO. 11 Barwani Distt.- Barwani Email:nddivisionno11barwani@rediffmail.com Cat. - 1(c) River Valley/Irrigation Projects, ToR proposal no. SIA/MP/RIV/522436/2025

उक्त प्रकरण में इससे पहले SEAC की 775वीं दिनांक 21/02/2025 की बैठक में टीओआर की अनुशंसा की गई थी। SEACसे अनुशंसा उपरांत SEIAA ने 879वीं बैठक दिनांक 18/03/2025 के माध्यम से मामले को निम्नलिखित अवलोकन के साथ पुनः जांच के लिए SEAC को वापस भेज दिया।

"राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड KML फाईल के आधार पर प्रस्तावित परियोजना से अंर्तराज्यीय सीमा (महाराष्ट्र) 3.19 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग बड़वानी द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड पत्र अनुसार अंर्तराज्यीय सीमा की दूरी 52 किलोमीटर होना बताया गया है। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25.06.2014 अनुसार 1(c) श्रेणी की परियोजनाओं में यदि अंतर्राज्यीय सीमा 10 किलोमीटर के अंदर स्थित है तो प्रकरण ए–श्रेणी के अंतर्गत होने के कारण भारत सरकार द्वारा निर्णय किया जायेगा।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।"

SEIAA के 879 वीं बैठक दिनांक 18.03.2025 निर्णयानुसार प्रकरण को SEAC 804 वीं बैठक दिनांक 24.06.25 में विचार हेतु रखा गया एवं विचार विमर्श उपरांत समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिए गये :–

SEAC reviewed the matter in its meeting held on 29/04/2025 and noted that, "In view of SEIAA referred back case the committee found that the reply submitted in lieu of EDS do not reveal sound technical support. The presentation made on-line by the Environmental Consultant on behalf of PP has assured to modify the reply in view of restricting laying of distribution pipelines within 05 Kms of interstate boundary to comply with EIA Notification under 25.06.2014."

- *Updated reply, as discussed in presentation was submitted online on 9/5/2025 to close ADS.*
- *Main project components i.e. pump houses, distribution chambers and rising main are all more than 20 Km away from interstate boundary. A certificate is issued by PWD in this regard.*

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

- *Shortest distance from state boundary of RM is 10.60 Km.*
- *Beyond this only distribution network of HDPE pipes will carry water up to 5 ha chak, thereafter farmers will use their own flexible hose/sprinklers. Distribution network provided by project is more than 5 Km away.*
- *Command boundary, which is drawn is of Gross Command Area (GCA) which is based on the village boundary, which need to be benefitted due to project and the minimum distance which has been pointed out by the SEIAA is of the command boundary*

We are committed that no major project components or land acquisition is envisaged within 10 Km of the interstate boundary.

- *This is a public interest project and farmers need water in that area*
- *Being a lift irrigation scheme, without any dam/submergence; no significant land requirement, therefore No R&R issues; and minimal environmental impacts*
- *Already substantial time has been lost waiting for the TOR, a fresh application to center for TOR will delay the project further.*
- *Therefore, it is requested that kindly issue the TOR so that project can complete environment clearance process without any further delay.*

In view of above facts as the project is maintaining desired distance from interstate boundaries to be considered as category B. However, in such projects the PP must ensure to make available water for public utilities for the population residing near interstate boundaries. In no case the population at the out skirt of the project and within state boundary shall be deprived of water supply, irrigation of agriculture land etc".

Hence, standby earlier recommendation as made in 775th Dated 21/02/2025 for TOR.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित (विन्दु क्र 1 एवं 2) शर्तो के अधीन अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR जारी करने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. **SEAC** द्वारा interstate boundary के सम्बन्ध में की गई अनुशंसा के परिपेक्ष्य में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से प्रकरण को "A" श्रेणी अथवा "B" श्रेणी के अंतर्गत विचार करने हेतु मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये।
2. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.06.2014 के अनुसार दोनों राज्यों (महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश) के बीच करार द्वारा अंतर्राज्यीय की सीमा को कम या पूर्ण रूप से समाप्त किया जाये।
3. परियोजना क्षेत्र के Up Stream व Down Stream में पानी की उपयोगिता का विवरण EIA Report में सम्मिलित करें।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

4. प्रस्तावित कमांड क्षेत्र में भूजल स्तर में उतार–चढ़ाव की स्थिति एवं कमांड क्षेत्र में प्रस्तावित विकास योजना (Development Plan) का विवरण दें।
5. सिचांई के अंतर्गत लवणता/क्षारीयता को रोकने के लिये प्रबंधन।
6. ईंधन के सरंक्षण हेतु प्रबंधन योजना सब्सिडी वाला ईधन प्रबंधन योजना प्रस्तुत करें।
7. माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा eco sensitive area, forest area से संबंधित समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार की जानेवाली व्यवस्था का उल्लेख EIA में करे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का अधिक से अधिक उपयोगहेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।
9. site specific management plan का विस्तृत अध्यनकर EIA में उल्लेख करे ।
10. sand की कमी को देखते हुए sand के पुर्न उपयोग का प्रावधान को EIAमें उल्लेख करे।
11. प्रारंभिक पम्पिंग स्टेशनों से अंतिम वितरण बिंदु तक पानी के नुकसान का विवरण ईआईए रिपोर्ट में करे ।
12. संचालन अवधि के दौरान marshy land की स्थिति बनने पर क्या control measures लिए जायेंगे उसका विस्तृत विवरण EIA में करे।
13. रिसाव का पता लगाने की योजना उसके नियत्रण हेतु उपायों और एमएस पाइपों के लिए जंग से सुरक्षा के लिए योजना की चर्चा EIA में करे।
14. Environmental Cost Benefit Analysis shall be done in terms of loss of Forest ecosystem due to diversion of Forest land/loss of biodiversity, water availability, water uses for irrigation.
15. PP shall submit the credible documents to show the status of land acquisition w.r.t project site from/through the concerned State Government as required under Ministry's OM dated 7th October, 2014 for the project land to be acquired.
16. Land acquired for the project shall be suitably compensated in accordance with the law of the land with the prevailing guidelines. Private land shall be acquired as per provisions of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

3. **Case No. P2/1035/25** Prior Environment Clearance for Sondwa Micro Lift Irrigation Project, 55,013 Ha. of CCA in Alirajpur district. A Total of 169 villages of Alirajpur district will be benefited by this scheme by, Executive Engineer, CE NVDA Lower Narmada Projects Indore, Lower Narmada Projects, Narmada Bhavan, B-G, Scheme no 74-C, Vijay Nagar – Indore, Distt.- Indore (M.P.)-452010 Email:cenvda.alirajpur@gmail.comToR Cat. - 1(c) River Valley/Irrigation Projects Proposal No. SIA/MP/RIV/519572/2025.

SEAC की 775वीं दिनांक 21/02/2025 की बैठक में टीओआर की अनुशंसा की गई थी। SEACसेअनुशंसाउपरांत SEIAA ने 879वीं बैठक दिनांक 18/03/2025 के माध्यम से मामले को निम्नलिखित अवलोकन के साथ पुनः जांच के लिए SEAC को वापस भेज दिया।

"राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड KML फाईल के आधार पर प्रस्तावित परियोजना से अंतर्राज्यीय गुजरात सीमा की दूरी 0 मीटर है, जबकि कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग अलीराजपुर द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड पत्र अनुसार अंतर्राज्यीय सीमा की दूरी 50 किलोमीटर होना बताया गया है। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25.06.2014 अनुसार 1(c) श्रेणी की परियोजनाओं में यदि अंतर्राज्यीय सीमा 10 किलोमीटर के अंदर स्थित है तो प्रकरण ए–श्रेणी के अंतर्गत होने के कारण भारत सरकार द्वारा निर्णय किया जायेगा।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।"

SEIAA के **879** वीं बैठक दिनांक **18.03.2025** निर्णयानुसार प्रकरण को SEAC **795** वीं बैठक दिनांक **21.05.25** में विचार हेतु रखा गया एवं विचार विमर्श उपरांत समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिए गये :–

- *Narmada Water Disputes Tribunal (NWDT), through its award dated 12 December 1979, allocated the waters of the Narmada River as follows:*
  - ***Madhya Pradesh:** 22,511 MCM (18.25 MAF),*
  - ***Maharashtra:** 308.37 MCM (0.25 MAF),*
  - ***Gujarat:** 11,101.32 MCM (9 MAF), and*
  - ***Rajasthan:** 616.74 MCM (0.5 MAF).*
- *This allocation has become final and binding for the respective states.*
  Subsequently, in accordance with the decision of the Tribunal, the Narmada Control Authority (NCA) was established as the implementing agency for its directions and decisions. The Authority began functioning from 20 December 1980. It is a corporate body consisting of representatives from the four states — Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan — and the Government of India.

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

- *In the judgment of the Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Narmada Bachao Andolan vs. Union of India and Others dated 18/10/2000, it is mentioned that the Chief Ministers of Gujarat, Maharashtra, and Madhya Pradesh reached an agreement on the use of Narmada water.*
- *This is a public interest project and farmers need water in that area*
- *Being a lift irrigation scheme, without any dam/submergence; no significant land requirement, therefore No R&R issues; and minimal environmental impacts*
- *Already substantial time has been lost waiting for the TOR, a fresh application to center for TOR will delay the project further.*
- *Therefore, it is requested that kindly issue the TOR so that project can complete environment clearance process without any further delay.*

In view of above facts as the project is maintaining desired distance from inter state boundaries to be considered as category B. However in such projects the PP must ensure to make available water for public utilities for the population residing near inter state boundaries. In no case the population at the out skrit of the project and within state boundary shall be deprived of water supply, irrigation of agriculture land etc.

Hence, standby earlier recommendation as made in 775th Dated 21/02/2025 for TOR.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित (विन्दु क्र 1 एवं 2) शर्तो के अधीन अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR जारी करने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. **SEAC** द्वारा **interstate boundary** के सम्बन्ध में की गई अनुशंसा के परिपेक्ष्य में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से प्रकरण को "A" श्रेणी अथवा "B" श्रेणी के अंतर्गत विचार करने हेतु मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये।
2. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.06.2014के अनुसार दोनों राज्यों (गुजरात एवं मध्य प्रदेश) के बीच करार द्वारा अंतर्राज्यीय की सीमा को कम या पूर्ण रूप से समाप्त किया जाये।
3. माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा **eco sensitive area**, **forest area** से संबंधित समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार की जानेवाली व्यवस्था का उल्लेख EIA में करे।
4. परियोजना क्षेत्र के Up Stream व Down Stream में पानी की उपयोगिता का विवरण EIA Report में सम्मिलित करें।
5. प्रस्तावित कमांड क्षेत्र में भूजल स्तर में उतार–चढ़ाव की स्थिति एवं कमांड क्षेत्र में प्रस्तावित विकास योजना (Development Plan) का विवरण दें।
6. सिचांई के अंतर्गत लवणता/क्षारीयता को रोकने के लिये प्रबंधन।
7. ईंधन के सरंक्षण हेतु प्रबंधन योजना सब्सिडी वाला ईधन प्रबंधन योजना प्रस्तुत करें।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का अधिक से अधिक उपयोगहेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।
9. site specific management plan का विस्तृत अध्यनकर EIA में उल्लेख करे ।
10. sand की कमी को देखते हुए sand के पुर्न उपयोग का प्रावधान को EIAमें उल्लेख करे।
11. प्रारंभिक पम्पिंग स्टेशनों से अंतिम वितरण बिंदु तक पानी के नुकसान का विवरण ईआईए रिपोर्ट में करे ।
12. संचालन अवधि के दौरान marshy land की स्थिति बनने पर क्या control measures लिए जायेंगे उसका विस्तृत विवरण EIA में करे।
13. रिसाव का पता लगाने की योजना उसके नियत्रण हेतु उपायों और एमएस पाइपों के लिए जंग से सुरक्षा के लिए योजना की चर्चा EIA में करे।
14. Environmental Cost Benefit Analysis shall be done in terms of loss of Forest ecosystem due to diversion of Forest land/loss of biodiversity, water availability, water uses for irrigation.
15. PP shall submit the credible documents to show the status of land acquisition w.r.t project site from/through the concerned State Government as required under Ministry's OM dated 7th October, 2014 for the project land to be acquired.
16. Land acquired for the project shall be suitably compensated in accordance with the law of the land with the prevailing guidelines. Private land shall be acquired as per provisions of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

4. **Case No P2/1122/2025:** Prior Environmental Clearance for Sher Irrigation Complex Project Dam-1 with CCA 6550 Ha. located on the River - Kurmunda near village Pipariya, Tehsil Lakhandon, District Seoni in Madhya Pradesh by Executive Engineer, Department of Irrigation, Pench Colony, Chand Road, Teh Chouri, Dist Chindwara (MP) Email: ee.pdpdnchourai.cdw@mp.gov.inProposal- SIA/MP/RIV/515494/2025

SEAC की 787 वीं बैठक दिनांक 22.04.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 16 से 27 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि चूँकि परियोजना में 31.28 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा (20/11/2024 को आवेदन क्रमांक एफपी/एमपी/एचवाईडी/आईआरआरआईजी/505464/2024) के साथ Stage-I Forest clearance के लिए आवेदन किया गया था परन्तु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

अतः Stage-I Forest clearance पोर्टल पर अपलोड किये जाने उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जा सकेगा।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

5. **Case No. P2/1037/25:** Prior Environment Clearance for Sendhwa Micro Lift Irrigation Scheme Project Sendhwa MLIS will cater water scarce area thorugh lift irrigation in Barwani Region 44,189 Ha. CAA,(Benefits Villages Sendhwa: 67 Rajpur: 24 Niwali: 6 Barwani: 1) in Barwani district (M.P.) by, Executive Engineer, Narmada Development DivisionNo 14, Thikri, Barwani- 451551. Cat.B1 - 1(c) River Valley/ Irrigation Projects, Proposal No. SIA/MP/RIV/521363/2025

SEAC द्वारा 775 वीं बैठक दिनांक 21.02.2025 में की गई अनुशंसा अनुसार राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 879 वीं बैठक दिनांक 18.03.2025 में प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :—

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड KML फाईल के आधार पर प्रस्तावित परियोजना से अंर्तराज्यीय सीमा (महाराष्ट्र) 5.44 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग बड़वानी द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड पत्र अनुसार अंर्तराज्यीय सीमा की दूरी 50 किलोमीटर होना बताया गया है। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25.06.2014 अनुसार 1(c) श्रेणी की परियोजनाओं में यदि अंतर्राज्यीय सीमा 10 किलोमीटर के अंदर स्थित है तो प्रकरण ए–श्रेणी के अंतर्गत होने के कारण भारत सरकार द्वारा निर्णय किया जायेगा।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

SEIAA के 879वीं बैठक दिनांक 18.03.2025 निर्णयानुसार प्रकरण को SEAC 787 वीं बैठक दिनांक 22.04.25 में विचार हेतु रखा गया एवं विचार विमर्श उपरांत समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिए गये :—

"PP further submitted that the Pump house no. 3 at the outskirt of MP state is 18 Km from Maharashtra State boundary also the farthest pipeline end is 5.3 Km from Maharashtra state boundary hence, project falls under B category . The Narmada Water Dispute Tribunal decision dated 12.12.1979 have awarded water quantity among MP, Maharashtra, Gujarat and Rajasthan as per respective share, therefore in order to utilize MP state share the said project is prepared for grant of EC.

Committee is of the opinion that Pump house no. 3 proposed construction work for which land is acquired is more than 10 Km from state boundary of Maharashtra state also the pipeline placed under ground as per right of use (ROU) policy, the end point of pipeline is 5.3 km from Maharashtra boundary. ***In view of the above facts and EIA Notification the committee standby earlier recommendation made in SEAC 775th dated 21.02.2025".***

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 888वी बैठक दिनांक 06.08.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित (विन्दु क्र 1 एवं 2) शर्तो के अधीन अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR जारी करने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. SEAC द्वारा interstate boundary के सम्बन्ध में की गई अनुशंसा के परिपेक्ष्य में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से प्रकरण को "A" श्रेणी अथवा "B" श्रेणी के अंतर्गत विचार करने हेतु मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये।
2. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.06.2014के अनुसार दोनों राज्यों (महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश) के बीच करार द्वारा अंतर्राज्यीय की सीमा को कम या पूर्ण रूप से समाप्त किया जाये।
3. माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा eco sensitive area] forest area से संबंधित समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार की जानेवाली व्यवस्था का उल्लेख EIA में करे।
4. परियोजना क्षेत्र के Up Stream व Down Stream में पानी की उपयोगिता का विवरण EIA Report में सम्मिलित करें।
5. प्रस्तावित कमांड क्षेत्र में भूजल स्तर में उतार–चढ़ाव की स्थिति एवं कमांड क्षेत्र में प्रस्तावित विकास योजना (Development Plan) का विवरण दें।
6. सिचांई के अंतर्गत लवणता/क्षारीयता को रोकने के लिये प्रबंधन।
7. ईंधन के सरंक्षण हेतु प्रबंधन योजना सब्सिडी वाला ईधन प्रबंधन योजना प्रस्तुत करें।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का अधिक से अधिक उपयोगहेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।
9. site specific management plan का विस्तृत अध्यनकर EIA में उल्लेख करे ।
10. sand की कमी को देखते हुए sand के पुर्न उपयोग का प्रावधान को EIAमें उल्लेख करे।
11. प्रारंभिक पम्पिंग स्टेशनों से अंतिम वितरण बिंदु तक पानी के नुकसान का विवरण ईआईए रिपोर्ट में करे ।
12. संचालन अवधि के दौरान marshy land की स्थिति बनने पर क्या control measures लिए जायेंगे उसका विस्तृत विवरण EIA में करे।
13. रिसाव का पता लगाने की योजना उसके नियत्रण हेतु उपायों और एमएस पाइपों के लिए जंग से सुरक्षा के लिए योजना की चर्चा EIA में करे।
14. Environmental Cost Benefit Analysis shall be done in terms of loss of Forest ecosystem due to diversion of Forest land/loss of biodiversity, water availability, water uses for irrigation in compliance of a circular been issued by Government of India, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, New Delhi vide Letter No. 7-69/2011-FC(Pt.), dated 01st August 2017.

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

15. PP shall submit the credible documents to show the status of land acquisition w.r.t project site from/through the concerned State Government as required under Ministry's OM dated 7th October, 2014 for the project land to be acquired.

16. Land acquired for the project shall be suitably compensated in accordance with the law of the land with the prevailing guidelines. Private land shall be acquired as per provisions of Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

6. **Case No 9634/2023**Prior Environment Clearance for (Amendment) the Shakkar Pench Link Combined Project is proposed on river Shakkar a tributary of river Narmada at Tehsil/Block Gadarwara District- Narsinghpur (M.P.) CCA of 64000 ha spread over 170 villages , Gross Command Area (GCA)- 81,680 ha., submergence area under the dam is estimated as 1800.98 Ha., District Covered - Narsinghpur & Chhindwara] [Tehsil - Gadarwara, Saikeda & Kareli tehsils of Narsinghpur District & Harrai tehsil of Chhindwara District] [Near village Hathnapur, Tehsil Gadarwara, District Narsinghpur (MP), Length of Dam- 347.10 m, Height of Dam- 78.30 m, Length of Spillway- 181 m, Gross Storage- 277.71 MCM, Benefitted Villages-170 by SHRI D S THAKUR, Chief Engineer, Office of the Chief Engineer, Rani Avanti Bai Lodhi Sagar Project, Bargi Hills, Jabalpur (M.P.)- 482001, [525061] (Amendment in TOR)

SEAC की 624 वीं बैठक दिनांक 26.02.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा को SEIAAकी 775 वीं बैठक दिनांक 17.03.2023 में मान्य करते हुए पत्र क्र 3305 दिनांक 31.03.23 के माध्यम से ToR जारी किया गया था।

SEAC की 797 वीं बैठक दिनांक 27.05.2025 (विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 51 से 57 पर अंकित है।) में पीपी द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करते हुए परियोजना में निम्नलिखित संशोधनों को शामिल करने के साथ टीओआर संशोधन हेतु अनुशंसा की गई है :–

S. No.	Particular	Proposed Application
1.	District	Narsinghpur & Chhindwara
2.	Tehsil	Gadarwara, Saikeda & Kareli tehsils of Narsinghpur District & Harrai tehsil of Chhindwara District
3.	Village	Near village Hathnapur, Tehsil Gadarwara, District Narsinghpur (MP)
4.	River	Shakkar
5.	Gross Command Area (GCA)	81,680 ha
6.	Cultural Command Area (CCA)	64,000 ha
7.	Submergence Area as per FTL marking	1800.98 ha
8.	Type of Dam	Concrete
9.	Length of Dam	347.10 m
10.	Height of Dam	78.30 m
11.	Length of Spillway	181 m
12.	Gross Storage	277.71 MCM

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 888वी बैठक दिनांक 06.08.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC द्वारा प्रकरण में 797 वीं बैठक दिनांक 27.05.2025 व पूर्व मे SEIAA द्वारा जारी पत्र क्र 3305 दिनांक 31.03.23 को ToR में संशोधन को मान्य करते हुए पूर्व शर्तो को यथावत रखते हुये परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित विन्दुओ में संशोधन कर पुनःसंशोधित ToR जारी करने की अनुमति प्रदान की जाती है। परियोजना प्रस्तावक एवं सर्व संबधितों को सूचनार्थ।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

7. **Case No 10710/2023**: Prior Environment Clearance for Sarkula Apchand Medium Irrigation Project [under River Valley and Hydroelectric Projects] in an area of 597.55 ha. [4830 ha CCA] at Village-Abchand, Tehsil-Sagar, District-Sagar (MP) by Shri Akhil Birthare, Executive Engineer, O/o Executive Engineer, Water Resources Division No. 1, Collectorate, District-Sagar, (MP)- 470001 Email: Proposal No. SIA/MP/RIV/442654/2023

1. उक्त सरकुला अपचंद मध्यम सिंचाई परियोजना 597.55 हेक्टेयर क्षेत्र में (नदी घाटी और जलविद्युत परियोजनाओं के तहत) ग्राम–अबचंद, तहसील–सागर, जिला–सागर (एमपी) में4830 हेक्टेयर सीसीए हेतु पूर्व पर्यावरण मंजूरी का प्रकरण है।
2. परियोजना का सीसीए क्षेत्र 4,830 हेक्टेयर है; इसलिए 2006 की एवं यथासंशोधित 14 अगस्त 2018 के अनुसार, यह श्रेणी बी 2 परियोजना (मध्यम सिंचाई परियोजना जिसमें सीसीएझ 2000 हेक्टेयर और <10000 हेक्टेयर है) के अंतर्गत SEIAA/SEAC द्वारा विचार किया गया।
3. कार्यालय वन मण्डल अधिकारी सागर, जिला सागर का पत्र क्र.971 दिनांक 05.03.2021 के अनुसार अभयारण्य परियोजना क्षेत्र से 28 किमी की दूरी पर स्थित है। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, सागर के पत्र क्र. 854 दिनांक 16.02.2021 के अनुसार परियोजना के कार्यस्थल से अंतर्राजीय सीमा के दूरी 76.0 किलोमीटर है। अतः परियोजना General condition से परे है।
4. परियोजना में प्रस्तावित बांध एवं कमांड क्षेत्र विकास हेतु कुल अनुमानित लागत 16266.51 लाख. है।
5. SEAC की 784 वीं बैठक दिनांक 09.04.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 16 से 27 पर अंकित है।
6. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :–

SN	Information Required	Details
1.	Project Name	Shri Akhil Birthare, Executive Engineer, O/o Executive Engineer, Water Resources Division No. 1, Collectorate, District-Sagar, (MP)-470001, Prior Environment Clearance for Sarkula Apchand Medium Irrigation Project [under River Valley and Hydroelectric Projects] in an area of 597.55 ha. [4830 ha CCA] at Village-Abchand, Tehsil-Sagar, District-Sagar (MP) [442654]. **Cat. - 1(c) River Valley Project.**

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

2.	**Activity details in CCA:**	**CCA - 4830 Ha.**
3.	Nature of Land involved	• Non-Forest Land [A] - 416.18 Ha. • Forest Land [B] - 181.39 Ha. • Total Land [A+B] - 597.55 Ha.
4.	**Project CostRs.**	16266.51 Lakhs.
5.	**Description of Project:** Apchand Medium Irrigation project, proposed across Gadheri river a tributary of Sonar, shall be situated in Tehsil/Block Sagar, District Sagar. The project envisages construction of 520 m long composite dam with maximum height of 19.50m; 60.00 m central ogee shaped spillway fitted with 10mx6m radial gates with crest level at El.455.50 masl; non-overflow dam section 20.00 m long on either side of spillway and 1395 m long saddle dam, maximum height 13.54m. It is designed for gross and live storage of 20.93 MCM and 19.55 MCM respectively at FRL 461.50 masl for providing Rabi irrigation to command area of 4830 ha (CCA) in 20 villages of draught prone Garhakota Tehsil, through a well-planned network of 7.5km long gravity mains and pipe irrigation network. Proposed irrigation under Rabi shall be 4830 ha which includes 3030 ha Wheat Hybrid (3MV) and 1800 ha Gram N2 respectively. The project is likely to be completed in time-frame of three years. The cost of project is Rs16266.51 lakhs only.	
6.	**Forest Clearance details**	Proposal No.: FP/MP/IRRIG/43200/2019. File No.: 8-20/2022-FC Date of approval: 21/08/2023. Area diverted/proposed to be diverted (in Ha): 181.39 Ha. First Stage clearance F N 8 20 2022 -FC.pdf: Uploaded on Parivesh Portal.
7.	Type of Dam	Earthen
8.	Dam height	Dam height from the deepest foundation level 19.5 mt.
9.	Length of the Dam (m)	445 mt.

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

10.	**River/River sub - basin/Basin**	Gadheri/ Ken/Yamuna.
11.	**Lat. Log.**	Latitude 23° 47'5.88" N Longitude 78° 59'0.05" E
12.	**Green Belt**	EMP Proposed.
13.	DFO NOC letter details	Letter No. 971 dated 05/03/2021. (Distance 28 km)
14.	PWD distance letter	Letter No. 854 dated 16/02/2021 (Uttar Pradesh State distance - 76 Km.).
15.	Administrative approval	Letter No. 1746 dated 04.10.2018 received through email dtd. 06.08.25
16.	EMP/ Env. Con	M/s EQMS Global Pvt. Ltd. formerly known as EQMS India Pvt. Ltd. Delhi. Valid up to 11/11/2026.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 784 वी बैठक दिनांक 09.04.2025 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

i. Stage-I Forest clearance में निहित शर्तों का पालन सुनिश्चित करें ।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग की जाये ।

iii. बिजली के वैकल्पिक स्रोत के रूप में परियोजना प्रस्तावक को पंप हाउस के उचित संचालन के लिए आवश्यक सौर पैनल स्थापित करना सुनिश्चित करना चाहिए।

iv. यदि संचालन अवधि के दौरान दलदली भूमि का निर्माण होता है, तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए।

v. परियोजना प्रस्तावक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुशंसित ई–प्रवाह को हर समय संबंधित बैराजों के तत्काल नीचे की ओर बनाए रखा जाना e-flow चाहिए। E-flow को छोड़ने के बाद शेष पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

vi. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 784 वी बैठक दिनांक 09.04.2025 की कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तोंको राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ उपरोक्त बिंदु i से vi एवं परिशिष्ट–1 को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

8. **प्रकरण क्र. 11233/2024 परियोजना** प्रस्तावक, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कारर्पोरेशन लिमि., अधिकृत **व्यक्ति श्री दम्मू रायकवार पर्यावास** भवन, ब्लॉक–ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला **भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 66,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (25,000 घनमीटर प्रतिवर्ष** SEAC **द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.75 हेक्टेयर, (खनन योग्य उपलब्ध रकबा 1.0 हे.** SEAC **द्वारा अनुशंसित) खसरा 127, ग्रम सिमरा बहादुर तहसील पवाई जिला पन्ना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

''....प्रकरण आज दिनांक को सूचीबद्व था, परन्तु परियोजना प्रस्तावक/कन्सलटेन्ट प्रस्तुतीकरण हेतु स्वयं या ऑन लाईन उपस्थित नहीं हुये। अतः आवेदक के आवेदन पर प्रकरण पुनः सूचीबद्व किया जावेगा।....''

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त प्रकरण में SEAC द्वारा पुनः सूचीबद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया इसके बावजूद भी प्रकरण को बिना अनुशंसा के प्राधिकरण को प्रेषित कर दिया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं परामश उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण को पुनः SEAC को प्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

9. Case No 10763/2024 Prior Environment Clearance for Mudhena Sand Quarry (opencast Mannual Method) for Production Capacity of 45000 M^3/Year (As recommended by SEAC) in an area of 2.845 ha. (Mineable area 1.63 ha As recommended by SEAC) at Khasra No. 15, in Village-Mudehna, Tehsil-Manpur, District-Umaria (MP) [432191- by Shri Gayaprasad Anjne, The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 एवं 757वी बैठक दिनांक24.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 719वी बैठक दिनांक 29.01.2024 एवं 757वी बैठक दिनांक 24.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"* अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से न्यूनतम 1000 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 2.85 हे. मे से SEAC द्वारा अनुसंशित खनन् योग्य क्षेत्र 1.63 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

10. **Case No 10656/2023** Prior Environment Clearance for Dhamnya Sand Deposit in an area of 5.00 ha. for production Capacity 22800 cum per year at Khasra No. 01, in Village-Dhamniya, Tehsil-Shahpur, District-Betul (MP) by Shri Pramod Dhabai, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011,

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 712वी बैठक दिनांक 10.01.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक/माईनिंग अधिकारी द्वारा पूर्व दिशा में250 मी. की दूरी पर 94 मी. लम्बा पक्का रोड़ ब्रिज के विषय में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिजकॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) का कोई भी अभिमत प्राप्त नहीं कर सकेअतः उपरोक्त संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी का अभिमत प्राप्त होने पर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त प्रकरण में SEAC द्वारा परियोजना प्रस्तावक से वांछित जानकारी चाही गई है, इसके बावजूद भी प्रकरण को बिना अनुशंसा के प्राधिकरण को प्रेषित कर दिया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं परामश उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण को पुनः SEAC को प्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

11- प्रकरण क्र. 11319/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री आशीष सिंह, पता पर्यावास भवन, ब्लॉक—ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, (आपेनकास्ट मैनुअल विधि) उत्पादन क्षमता 78,600 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 15.00 हेक्टेयर (SEAC द्वारा अनुशंसित खनन योग्य क्षेत्र 7.86 हे.), खसरा 278, ग्राम भीकमपुरा—ए, तहसील सेवढ़ा, जिला दतिया (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

उक्त प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 753वी बैठक दिनांक 17.05.2024 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा 852वी बैठक दिनांक 21.05.2024 में पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की गई जिसके उपरांत दिनांक 29.05.2025 को प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में संशोधन हेतु फार्म —13 (Corrigendum in EC) में प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से उक्त प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति में त्रुटिवश उत्पादन क्षमता 41250 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 15.80 हेक्टेयर, खसर नम्बर 825 एवं ग्राम खमरौली—ए, तहसील सेवढ़ा, जिला दतिया के नाम से जारी की गई है के स्थान पर प्रकरण में SEAC द्वारा अनुशंसित उत्पादन क्षमता 78600 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 15.00 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 278 एवं ग्राम भीकमपुरा—ए, तहसील सेवढ़ा, जिला दतिया किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों एवं SEAC की अनुशंसा का परीक्षण कर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 29.05.2024 में ".........उत्पादन क्षमता 41250 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 15.80 हेक्टेयर, खसर नम्बर 825 एवं ग्राम खमरौली—ए, तहसील सेवढ़ा, जिला दतिया ......" के स्थान पर ".........SEAC द्वारा अनुशंसित उत्पादन क्षमता 78600 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 15.00 हेक्टेयर (SEAC द्वारा अनुशंसित खनन योग्य क्षेत्र 7.86 हे.), खसरा नम्बर 278 एवं ग्राम भीकमपुरा—ए, तहसील सेवढ़ा, जिला दतिया (म.प्र.)......" पठन किये जाने हेतु संशोधन किया जाता है, पर्यावरण स्वीकृति की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

12- **Case No P2/728/2024** Prior Environment Clearance for Piprakurund-1 Sand Deposit in an area of 4.00 ha. for production capacity 69,300 cum per annum at Khasra No. 1, in Village – Piprakurund-1, Tehsil – Singrauli, District – Singrauli (M.P.). by shri Yodha Umare The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 24.04.2024 को Standard ToR जारी किया गया है।

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा फार्म –13 (Corrigendum in ToR) में आवेदन के माध्यम से प्रकरण में जारी Standerd ToR में परिवेश पोर्टल की तकनीकी खराबी के कारण "*............Case No P2/728/2024 Prior Environment Clearance for Piprakurund-1 Sand Deposit in an area of 4.00 ha for production capacity 69,300 cum per annum at Khasra No. 1, in Village – Piprakurund-1, Tehsil – Singrauli, District – Singrauli (M.P.) by shri. Yodha Umare, The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011..........*" के स्थान पर "*.........प्रकरण क्र. P2/729/2024 भुमका रेत खदान परियोजना प्रस्तावक श्री राम सोनी, जिला सीधी (म.प्र.).............*" के नाम से जारी हो गया है।

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य करते हुये उक्त प्रकरण में जारी Standerd ToR में उल्लेखित परियोजना के विवरण "......प्रकरण क. P2/729/2024 भुमका रेत खदान, परियोजना प्रस्तावक श्री राम सोनी, जिला सीधी (म.प्र.)..........." के स्थान पर "......Case No P2/728/2024 Prior Environment Clearance for Piprakurund-1 Sand Deposit in an area of 4.00 ha. for production capacity 69300 cum per annum at Khasra No. 1, in Village – Piprakurund-1, Tehsil – Singrauli, District – Singrauli (M.P.). by shri Yodha Umare, The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011......" पठन किये जाने हेतु संशोधन किया जाता है, ToR की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

13. **Case No P2/123/2024** Prior Environment Clearance for Sand Mine (Opencast Manual Method) For Production Capacity 2500 cum per annum in area of 7.77 Hectare, Khasra No.- 38 in Village - Mehatgaon, Tehsil - Sendhwa, District - Barwani (MP), Rajeev Saxena, The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, [MIN/450440/2023]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 783 वी बैठक दिनांक 08.04.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"......समिति ने चर्चा उपरान्त निर्णय किया कि लीज क्षेत्र में एक छोटा रोड ब्रिज है एवं उक्त परिपेक्ष्य में खनिज अधिकारी द्वारा 900 घनमीटर/वर्ष रेत की मात्रा की अनुशंसा की है, सेंड माईनिंग गाईडलाईन के अनुसार गैर खनन क्षेत्र छोड़ने पर रेत की वांछित मात्रा उपलब्ध नही होती है अतः प्रकरण पर पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा नहीं की जा सकती है।....."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 783 वी बैठक दिनांक 08.04.2025 की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

14. **Case No P2/240/24** Prior Environment Clearance for (Khodu Bharu) Sand Mine (Opencast Manual Method) for Production capacity - 10,000 cum per annum, in area of 20.00 Hectare, at Khasra No.- 70 in Village – Mardana, Tehsil - Sanawad, District - Khargone (MP) by Himmat Sisodia, The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, DistrictBhopal (MP)-462011, (EIA) 480040

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 783वी बैठक दिनांक 08.04.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

खोदू भरू हेतु प्रकरण में SEAC की 783वी बैठक दिनांक 08.04.202 में स्टेण्डर्ड शर्ते (संलग्नक–बी) सहित अनुशंसा की गई है जबकि खोदू भरू हेतु स्टेण्डर्ड शर्ते (संलग्नक–सी) लागू होता है, को प्राधिकरण द्वारा मान्य किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 783वी बैठक दिनांक 08.04.202 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–सी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में “एक पेड़ माँ के नाम” के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहॉ से शुरू हो रही है और जहॉ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

(vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

15. Case No P2/100/24 Prior Environment Clearance for Badgaon-1 (Khodu Bharu) Sand Mine (Opencast Manual Method) Production Capacity 30,000 cum per annum in area of 7.00 Hectare, Khasra No.- 25/1, in Village - Badgaon, Tehsil - Kasrawad, District - Khargone (MP), by Himmat Sisodia, The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, DistrictBhopal (MP)-462011, (EIA) [480014]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 783वी बैठक दिनांक 08.04.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

खोदू भरू हेतु प्रकरण में SEAC की 783वी बैठक दिनांक 08.04.202 में स्टेण्डर्ड शर्ते (संलग्नक–बी) सहित अनुशंसा की गई है जबकि खोदू भरू हेतु स्टेण्डर्ड शर्ते (संलग्नक–सी) लागू होता है, को प्राधिकरण द्वारा मान्य किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 783वी बैठक दिनांक **08.04.202 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–सी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

(vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :—

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

16. **Case No P2/680/24** Prior Environment Clearance for Badgaon-2 (Khodu-Bharu) Sand Mine (Opencat Manual Method) for Production Capacity 30000 cum per annum in area of 10.000 Hectare, at Khasra No-64, 65 & 67 in Village -Badgaon, Tehsil-Kasrawad, District -Khargone (MP), by Himmat Sisodia, The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (MP)-462011, (EIA) [518271],

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 783वी बैठक दिनांक 08.04.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आनलाईन परिवेश पोर्टल पर पर्यावरण सलाहकार एवं परियोजना प्रस्तावक का नोटराईज्ड सपथ पत्र अपूर्ण एवं परियोजना प्रस्तावक का नोटराईज्ड शपथ पत्र अपलोड नही किया गया हैं, जो प्रारंभिक दस्तावेज है जिसे आवेदन के साथ अनिवार्यतः अपलोड किया जाना था।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

17. **Case No P2/678/24** Prior Environment Clearance for Badgaon-3 (Khodu Bharu) Sand Mine in area of 9.000 Hectare, for Production Capacity 30000 cum per annum at Khasra No-176,177,178,179,189,190 in Village -Badgaon, Tehsil-Kasrawad, District -Khargone (MP) By Himmat Sisodia, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, DistrictBhopal (MP)-462011, EIA-518435.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 783वी बैठक दिनांक 08.04.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आनलाईन परिवेश पोर्टल पर पर्यावरण सलाहकार का नोटराईज्ड सपथ पत्र एवं एकल प्रमाण पत्र नही की गई जो प्रारंभिक दस्तावेज है जिसे आवेदन के साथ अनिवार्यतः अपलोड किया जाना था।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

18. **Case No P2/289/2024** Prior Environment Clearance for Sand Mine for production capacity 4,044 cum per annum in area of 13.480 Hectare at Khasra No.- 01 in Village - Aranyavena, Tehsil - Mahidpur, District - Ujjain (MP) by Shri Dinesh Sharma, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)- (EIA). [519276]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 782वी बैठक दिनांक 04.04.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज के अनुसार उक्त खदान क्षेत्र के बीचो–बीच डेम स्ट्रक्चर परिलक्षित है, जबकि SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में खदान क्षेत्र से डेम 250 मीटर की दूरी पर होने का उल्लेख किया गया है कि अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"* अनुसार डेम स्ट्रक्चर से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है, अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

19. **Case No. P2/171/2023** Prior Environment Clearance for Sand Mine for Production – Capacity 1000 cum per annum in area of 5.00 Hectare, Khasra No.- 710 in Village - Badagaon, Tehsil - Pathriya, District - Damoh (MP), by Ramesh Bhumarkar, The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 [519123]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 784 वी बैठक दिनांक 09.04.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

"...... प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि गूगल इमेज अनुसार लीज एरिया के मध्य में एक चेकडेम स्थित है एवं नदी तट के दोनों ओर सघन वृक्ष लगे हुये हैं एवं रेत के परिवहन हेतु निर्गम मार्ग उपलब्ध नहीं है। अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि रेत के परिवहन हेतु निर्गम मार्ग उपलब्ध न होने, सघन वृक्षारोपण, तथा चेकडेम की उपस्थिति के कारण इस प्रकरण मे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किये जाने की अनुशंसा नहीं है। ...."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं **SEAC** की 784 वी बैठक दिनांक 09.04.2025 की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

20. **Case No P2/482/2024** Prior Environment Clearance for Sand Mine for Production Capacity 65,061 cum per annum in an area of 7.229 Hectare at Khasra No.- 245, in Village - Kadakna, Tehsil - Kirnapur, District - Balaghat (MP), by Shri Puran Lakshkar, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (MP) - (EIA). [519405]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 786वी बैठक दिनांक **16.04.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आनलाईन परिवेश पोर्टल पर Pre-Feasibility Report अपलोड नही की गई हैं, जो कि प्रारंभिक दस्तावेज है जिसे आवेदन के साथ अनिवार्यतः अपलोड किया जाना था।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

परिशिष्ट–1

i. A grievances redress mechanism should be devised by WRD GoMP and put in place so that aggrieved PAFs and other stakeholders may approach the Authority easily for resolution of any dispute/conflict.

ii. PP shall ensure that, land required for the proposed project is acquired and possession is taken only after payment of compensation to the land holders as per the provision of the Right to fair compensation and transparency in land acquisition Act amended from time to time.

iii. A monitoring Committee for R & R shall be constituted which shall include representatives of project affected persons including representative from Sc/ST.

iv. No additional land shall be used/acquired for any activity of the project without obtaining proper permission.

v. PP to take utmost precaution for health and safety of the people working in the project as also for protecting the environment.

vi. In the event of the failure of any pollution control system adopted by the project proponent, the project shall be immediately put out of operation and shall not be restarted until the desired efficiency has been achieve.

vii. A detailed scheme for rainwater harvesting shall be prepared and implemented to recharge ground water.

viii. To enhance the natural environmental quality & aesthetics of project site, plantation, as proposed in the EMP Report shall be undertaken in the proposed area. Allocated grant for this purpose shall be fully utilized separately and not to be diverted for any other purpose.

ix. Occurrence of stagnant pools/slow moving water channels during construction and operation of the project may provide breeding source for vector mosquitoes and other parasites. The river should be properly channelized so that no small pools and puddles are allowed to be formed. Even after taking precaution, due to unforeseen situations, breeding of mosquito and resultant malaria or mosquito borne diseases can increase. If such a situation arises, it will be the responsibility of project authorities to take all steps i.e. residual insecticidal spray in all the project area and surrounding 3 km. Area keeping the flight range of mosquitoes in consideration. Also medical assistance to be provided to the affected people at the cost of the developer and appropriate health benefits may be initiated with the help of State Health Department.it is recommended that contractors should enforce standards, recommended by Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

x. Regular monitoring of water quality (Surface and Ground) including heavy metals shall be undertaken in the project area and around the project area to ascertain the change, if any, in the water quality due to leaching of contaminants, if any, from the increased use of chemical fertilizers and pesticides.

xi. PP should ensure the pumps and pump house building are designed in such a way that outside noise levels will not exceed the CPCB standards.

xii. As alternate source of power PP should ensure to install required solar panels to proper running of Pump house.

xiii. The budgetary provisions for implementation of EMP, shall be fully utilized and not to be diverted to any other purpose. In case of revision of the project cost or due to price level change, the cost of EMP shall also update proportionately.

xiv. If marshy land create during operation period the adequate measure should be taken by PP.

xv. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM issued vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 25 February 2021, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility and Environmental Management Plan.

xvi. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F. No. 22-65/2017-IA.III dated Ist May 2018 regarding Corporate Environment Responsibility. The activities under CER shall be worked out as per the para no. (V) of the aforesaid OM and shall be restricted to the affected area around the project. The entire activities under CER shall be treated as project and shall be monitored. The monitoring report shall be submitted to the regional office as a part of half-yearly compliance report and to a District Collector.

xvii. PP needs to comply the OM dated 24.07.2024 of MoEFCC, where it is stated that the plantation of saplings shall be carried out in the earmarked 33% greenbelt area as part of the tree plantation campaign " EK Ped Ma ke Naam" (and the details of the same shall be uploaded in the MeriLife portal (https://merilife.nic.in).

xviii. The validity of the Environmental Clearance (EC) extends up to 13 years to the start of production operations or the commissioning of the project. The EC's validity becomes perpetual if production operations commence on or before the specified date. Should the Project Proponent fail to initiate production operations within the EC validity period, an application for an extension must be submitted to the regulatory authority, in accordance with Para 9.0 of the EIA Notification, 2006, as amended.